

पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़

(छ.ग. शासन के अधिनियम क्रमांक 26 सन् 2004 द्वारा स्थापित)

(Accredited by NAAC with Grade 'A+')

रकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) 495009 दूरभाष क्रमांक : (07752) 240712, 240752 www.pssou.ac.in E-mail: registrar@pssou.ac.in



क्र 1421/शिक्षा/2025

बिलासपुर, दिनांक 24/03/2025

बी.एड. एवं डी.एल.एड. पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश की तिथि

विश्वविद्यालय के द्विवर्षीय बी.एड. एवं डी.एल.एड. दूरवर्ती पाठ्यक्रम के सत्र 2025-26 में प्रवेश हेतु प्रवेश नियमों के आधार पर प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाना है। प्री. बी.एड. एवं प्री. डी.एल.एड. प्रवेश परीक्षा आवेदन फार्म प्रक्रिया में सम्मिलित होने हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं-

- | | |
|--|--|
| ➤ ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि | - 28 मार्च 2025 से |
| ➤ आवेदन की अंतिम तिथि | - 12 जून 2025 (रात्रि 12 बजे तक) |
| ➤ आवेदन में सुधार हेतु (शुल्क - 100रु.) | - 13 जून से 15 जून 2025 |
| ➤ प्रवेश पत्र डाउनलोड प्रारंभ होने की तिथि | - 23 जून 2025 |
| ➤ प्री.बी.एड. एवं डी.एल.एड. प्रवेश परीक्षा | - 29 जून 2025 (संभावित) |
| ➤ मॉडल उत्तर जारी करने की तिथि | - 29 जून 2025 (रात्रि 12 बजे तक) |
| ➤ मॉडल उत्तर पर दावा आपत्ति की तिथि | - 29 जून से 03 जुलाई 2025 (रात्रि 12 बजे तक) (संभावित) |
| ➤ परीक्षा परिणाम घोषणा (अन्तिम सूची) | - 07 जुलाई 2025 (संभावित) |
| ➤ परीक्षा परिणाम पर दावा आपत्ति तिथि | - 07 से 09 जुलाई 2025 (संभावित) (रात्रि 12 बजे तक) |

आपत्ति Emailedu.pssou@gmail.com के माध्यम से आवेदन निर्धारित माध्यम, तिथि एवं समय तक ही स्वीकार किए जाएंगे।

- | | |
|--|---------------------------|
| ➤ दावा आपत्ति का निराकरण एवं अंतिम प्रावीण्यता सूची का प्रकाशन | - 15 जुलाई 2025 (संभावित) |
|--|---------------------------|

नोट :-

- (1) प्रवेश परीक्षा विवरणिका, परीक्षा से सम्बन्धित नियम/निर्देश, ऑनलाइन आवेदन हेतु संलग्न विवरणिका को ध्यान से पढ़ें साथ ही विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.pssou.ac.in या www.pssou.net/portal/ पर लागू इन करें।
- (2) अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन फार्म भरते समय समस्त जानकारी को ध्यान पूर्वक पढ़कर स्पष्ट तौर से चाही गई जानकारी को भरे। क्योंकि यह प्रवेश परीक्षा सह काउंसलिंग पंजीयन आवेदन फार्म है इसके उपरोक्त अभ्यर्थियों से काउंसलिंग फार्म नहीं भराया जायेगा।
- (3) उपरोक्त दी गई तिथि संभावित है उसमें परिवर्तन संभव है।
- (4) परीक्षा परिणाम घोषणा के पश्चात् ऑनलाइन/फेस-टू-फेस काउंसलिंग प्रक्रिया की सूचना वेबसाइट पर प्रदान की जावेगी।
- (5) उपरोक्त उल्लेखित तिथियों में परिवर्तन सम्भव है। निश्चित तिथि एवं जानकारी प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय के वेबसाइट का सतत अवलोकन करते रहें।

- (6) बी.एड. एवं डी.एल.एड. प्रवेश परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में से अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को प्रवेश में वरीयता दी जायेगी।


कुलसचिव

बिलासपुर, दिनांक: 21/03/2025

पृ.क्र./1422/शिक्षा/2025
प्रतिलिपि:-

- 1 माननीय राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर।
- 2 सचिव छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, रायपुर को सूचनार्थ।
- 3 आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर को सूचनार्थ।
- 4 कुलपति के निज सचिव को कुलपति जी को सूचनार्थ।
- 5 सर्वर यूनिट शाखा प्रभारी को सूचनार्थ।
- 6 परीक्षा नियंत्रक को सूचनार्थ।
- 7 वित्ताधिकारी को सूचनार्थ।
- 8 क्षेत्रीय समन्वयक रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, जगदलपुर, अम्बिकापुर को सूचनार्थ।
- 9 प्रभारी..... विभाग को सूचनार्थ।
- 10 संपादक दैनिक..... को अधिसूचना, अपने लोकप्रिय समाचार पत्र के सभी संस्करणों में समाचारवत के रूप में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
- 11 वेबसेल को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिसूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाइट में अपलोड करे।
- 12 कार्यालय प्रति


कुलसचिव

बी.एड. एवं डी.एल.एड. प्रवेश परीक्षा हेतु सामान्य जानकारीयाँ

पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के द्वारा संचालित द्विवर्षीय बी. एड. एवं डी.एल.एड. दूरवर्ती कार्यक्रम हेतु प्री.बी.एड. एवं प्री.डी.एल.एड. प्रवेश परीक्षा/प्रवेश आवेदन फार्म प्रक्रिया से सम्बन्धित नियम एवं शर्तें निम्नांकित हैं—

1. परीक्षा हेतु आवेदन

प्री-बी.एड. परीक्षा हेतु आवेदन एवं कॉउंसलिंग रु. 1000.00 (रुपये एक हजार मात्र) के शुल्क के साथ ऑनलाइन भरे जायेंगे। छत्तीसगढ़ के बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए यह निःशुल्क है। ऑनलाइन फार्म विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। प्रवेश परीक्षा एवं कॉउंसलिंग हेतु केवल ऑनलाइन फार्म ही स्वीकार किये जायेंगे।

2. पात्रता —

2.1 बी.एड. कार्यक्रम हेतु पात्रता —

एन.सी.टी.ई. के मानक के अनुसार निम्नलिखित अभ्यर्थी बी.एड. ओ.डी.एल. में प्रवेश पाने के पात्र होंगे —

2.1.1 स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक पाने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे। (विज्ञान/सामाजिक विज्ञान/मानविकी में कम से कम 50 प्रतिशत अंक तथा इंजिनियरिंग जिसमें विज्ञान और गणित की विशेषज्ञता हो में 55 प्रतिशत अंक)। अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा-वर्ग/ विकलांग की स्थिति में कम से कम 5 प्रतिशत अंक पाने की छूट होगी एवं सभी महिला अभ्यर्थी को स्नातक में कम से कम 5 प्रतिशत अंक की छूट होगी।

2.1.2 इसके साथ ही अभ्यर्थी यदि सेवारत अध्यापक है तो उसे प्रारंभिक शिक्षा में कोई पाठ्यक्रम यथा डी.एल.एड./डी.एड./बी.टी.आई/बी.टी.सी/डी.पी.ई. पूर्ण किया हुआ हो तथा छत्तीसगढ़ राज्य के विद्यालय में कार्यरत हो।

अथवा

यदि अभ्यर्थी सेवारत अध्यापक नहीं है तो वह राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन.सी. टी.ई.) द्वारा मान्यता प्राप्त नियमित रीति (फेस-टू-फेस) से अध्यापक शिक्षा का कोई पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो।

2.1.3 यह भी कि इस कार्यक्रम के आवेदन के समय अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त प्राथमिक/पूर्व माध्यमिक/माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पूर्णकालिक शिक्षक के रूप में कार्यरत होना अनिवार्य है।

2.1.4 अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा-वर्ग/ विकलांग तथा अन्य ऐसे वर्ग एवं संवर्ग के लिए अंको में छूट तथा सीट आरक्षण छ.ग. राज्य सरकार उच्च शिक्षा विभाग के नियमानुसार लागू होगा।

नोट:-ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रवेश परीक्षा/प्रवेश आवेदन फार्म प्रक्रिया में समान अंक प्राप्त किए हैं उनमें से अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को प्रवेश में वरियता दी जायेगी।

2.2 डी.एल.एड. पाठ्यक्रम हेतु आवेदन -

2.2.A डी.एल.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदन एवं कॉउंसलिंग रू. 1000.00 (रुपये एक हजार मात्र) के शुल्क के साथ ऑनलाइन भरे जायेंगे। ऑनलाइन फार्म विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। प्रवेश हेतु केवल ऑनलाइन फार्म ही स्वीकार किये जायेंगे।

2.2.B डी.एल. एड. कार्यक्रम हेतु पात्रता -

एन.सी.टी.ई. के मानक के अनुसार निम्नलिखित अभ्यर्थी पात्र होंगे-

- 2.2.1 ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों। अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा-वर्ग/विकलांग की स्थिति में कम से कम 45 प्रतिशत अंक पाने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे। एवं सभी महिला अभ्यर्थी को 12 वी मे कम से कम 45 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य हैं।
- 2.2.2 साथ ही ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त प्राथमिक/पूर्व माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय में न्यूनतम 2 वर्ष का अध्यापन अनुभव प्राप्त हो (अभ्यर्थी के प्रवेश तिथि को अध्यापन अनुभव पूर्ण होना अनिवार्य होगा)। साथ ही अभ्यर्थी को सतत वर्तमान में अध्यापन कार्यरत होना आवश्यक है। 2 वर्ष से कम का अनुभव होने पर प्रवेश से वंचित किया जायेगा तथा कोई शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।
- 2.2.3 यह भी कि इस कार्यक्रम के आवेदन के समय अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त प्राथमिक/पूर्व माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय में पूर्णकालिक शिक्षक के रूप में कार्यरत होना अनिवार्य है।
- 2.2.4 अनुसूचित जनजाति /अनुसूचित जाति /अन्य पिछड़ा-वर्ग/ विकलांग तथा अन्य ऐसे वर्ग के लिए अंको में छूट तथा सीट आरक्षण छ.ग. राज्य सरकार उच्च शिक्षा विभाग के नियमानुसार लागू होगा।

- ✓ परीक्षार्थी स्वयं अपनी पात्रता पूर्ण रूप से सुनिश्चित कर लेंगे कि प्री-बी.एड. व प्री-डी.एल.एड. कार्यक्रम हेतु पात्र है। प्री-बी.एड. व प्री-डी.एल.एड. परीक्षा/प्रवेश आवेदन के साथ किसी भी प्रकार की प्रमाण-पत्र, छाया-प्रति एवं मूल प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं करना है। सभी प्रमाण-पत्र प्रवेश परीक्षा में चयनित होने के पश्चात् प्रवेश प्रक्रिया के समय सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान उपलब्ध कराने होंगे। सत्यापन के समय यदि प्रमाण-पत्र गलत पाया जाता है तो गलत जानकारी देने के कारण उसे प्रवेश से वंचित किया जायेगा। प्रवेश के पश्चात् यदि कोई प्रमाण-पत्र गलत पाया जायेगा तो उसे निरस्त किया जायेगा तथा कोई भी शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।
- ✓ अतः अभ्यर्थी अपनी समपूर्ण जानकारी आवेदन पत्र में चाही गयी अनुसार सत्य एवं स्पष्ट तौर पर भरें, चूंकि आपके आवेदन पर आपके द्वारा दी गयी जानकारी को सत्य एवं अंतिम मानते हुये आगे की प्रक्रिया की जायेगी बाद में उस पर किसी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं होगा।

3. कार्यक्रम में प्रवेश

3.1 बी.एड. कार्यक्रम की 500 सीटों तथा डी.एल.एड. की 2400 सीटों पर प्रवेश के लिए पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा आयोजित/प्राविण्य सूची निर्माण करेगा। प्रवेश नियमों के आधार पर इस कार्यक्रम में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय, नियमानुसार रैंकिंग (Ranking) सूची घोषित करेगा और केवल इसी सूची के आधार पर

ऑन-लाइन/फेस-टू-फेस काउन्सिलिंग के द्वारा प्रवेश दिया जाएगा। प्रवेश परीक्षा के परीक्षा परिणाम एवं काउन्सिलिंग प्रक्रिया की सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट (www.pssou.ac.in) पर प्रदर्शित किये जावेंगे। काउन्सिलिंग की सूचना केवल विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ही जारी की जायेगी अतः परीक्षार्थी परीक्षा परिणाम की घोषणा के उपरान्त लगातार विश्वविद्यालय की वेबसाइट देखें। उल्लेखनीय है कि प्रवेश परीक्षा की अंक-सूची परीक्षार्थी को नहीं भेजी जायेगी। यह केवल विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ही जारी किया जायेगा।

4. बी.एड. एवं डी.एल.एड. कार्यक्रम संचालन हेतु प्रस्तावित अध्ययन केन्द्र-

बी.एड. पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय द्वारा घोषित बी.एड. कार्यक्रम अध्ययन केन्द्रों के माध्यम से संचालित होगा। इस हेतु चयनित छात्र काउन्सिलिंग आवेदन में अपनी सुविधानुसार अध्ययन केन्द्र चुनेंगे। काउन्सिलिंग के दौरान प्रदत्त बी.एड. एवं डी.एल.एड. अध्ययन केन्द्र ही अंतिम होगा। यद्यपि विश्वविद्यालय को यह अधिकार होगा कि छात्र संख्या नियंत्रित करने हेतु अध्ययन केन्द्र में परिवर्तन कर सके। दिये गये निम्न अध्ययन केन्द्रों की संख्या में अपनी सुविधा व समयानुसार परिवर्तन के लिए विश्वविद्यालय स्वतंत्र होगा

4.2 बी.एड. कार्यक्रम संचालन हेतु अध्ययन केन्द्र

क्र.	प्रस्तावित अध्ययन केन्द्र के नाम	कोड
1.	विश्वविद्यालय मुख्यालय, बिलासपुर	01
2.	पं. हरिशंकर शिक्षा महाविद्यालय, सलखो, नैला-जांजगीर	02
3.	आदर्श महाविद्यालय, मुरा रोड, दतरेंगा, रायपुर	03
4.	शा. शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, शंकर नगर, रायपुर	04
5.	मनसा शिक्षा महाविद्यालय, कोहका, भिलाईनगर, जिला-दुर्ग	05
6.	रॉयल महाविद्यालय, राजनांदगांव	06
7.	सरस्वती शिक्षा महाविद्यालय, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा	07
8.	श्री वेदमाता गायत्री शिक्षा महाविद्यालय, जगदलपुर, जिला बस्तर	08
9.	डी.पी.विप्र शिक्षा महाविद्यालय बिलासपुर	09
10.	उन्नत शिक्षण अध्ययन संस्थान, बिलासपुर	10

उक्त अध्ययन केन्द्रों की संख्या एवं नाम में परिवर्तन सम्भव हैं

4.2 डी.एल.एड. कार्यक्रम संचालन हेतु अध्ययन केन्द्र

क्र.	प्रस्तावित अध्ययन केन्द्र का नाम	कोड
1.	विश्वविद्यालय मुख्यालय, बिलासपुर	01
2.	शा. बुनियादी प्रशिक्षण संस्थान बिलासपुर	02
3.	डी.पी.विप्र शिक्षा महाविद्यालय बिलासपुर	03
4.	कमला नेहरू महाविद्यालय, कोरबा	04
5.	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, पेण्ड्रा	05
6.	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, कोरबा	06

7.	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जॉजगीर	07
8.	पं. हरिशंकर शिक्षा महाविद्यालय नैला जांजगीर	08
9.	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, कवर्धा	09
10.	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर	10
11.	विकास शिक्षा महाविद्यालय, रायपुर	11
12.	महात्मा गांधी महाविद्यालय, रायपुर	12
13.	मनसा शिक्षा महाविद्यालय, भिलाई	13
14.	श्री शंकराचार्य महाविद्यालय, जुनवानी भिलाई	14
15.	रॉयल कालेज, राजनांदगांव	15
16.	शा. बुनियादी प्रशिक्षण संस्थान डोंगरगांव	16
17.	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, खैरागढ़	17
18.	सरस्वती शिक्षा महाविद्यालय, अम्बिकापुर	18
19.	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, अम्बिकापुर	19
20.	संत हरकेवल शिक्षा महाविद्यालय, अम्बिकापुर	
21.	श्री वेदमाता गायत्री शिक्षा महाविद्यालय, जगदलपुर	20
22.	समाधान महाविद्यालय, बेमतरा	21
23.	उन्नत शिक्षण अध्ययन संस्थान, बिलासपुर	22
24.	शा. बुनियादी प्रशिक्षण संस्थान बिलासपुर यूनिट-2	23
25.	जगरानी देवी कालेज ऑफ एजुकेशन, बाराद्वार, जॉजगीर	24
26.	कल्याण पी.जी. कॉलेज, भिलाई नगर	25
27.	श्याम बालाजी महाविद्यालय, महासमुंद	26
28.	अभिमन डी.एड. कॉलेज कुसमुरा, रायगढ़	27
28.	आदर्श महाविद्यालय, मुर्दा रोड, दतारंगा, रायपुर	28

उक्त अध्ययन केन्द्रों की संख्या एवं नाम में परिवर्तन सम्भव है।

महत्वपूर्ण सूचना-

- ✓ अध्ययन केन्द्र आबंटन/परिवर्तन का सर्वाधिकार वि.वि. के पास सुरक्षित रहेगा।
- ✓ उपरोक्त उल्लेखित केन्द्र केवल बी.एड./डी.एल.एड. पाठ्यक्रम के अध्ययन केन्द्र होंगे। परीक्षा केन्द्र की जानकारी विश्वविद्यालय द्वारा पृथक से प्रदान की जावेगी।

5. कार्यक्रम शुल्क

5.1 बी.एड.

बी.एड. दूरवर्ती कार्यक्रम के शुल्क निम्नांकित हैं-

प्रथम वर्ष पाठ्यक्रम शुल्क	30,000.00
द्वितीय वर्ष पाठ्यक्रम शुल्क	30,000.00

5.2 डी.एल.एड.

डी.एल.एड. दूरवर्ती कार्यक्रम के शुल्क निम्नांकित हैं-

प्रथम वर्ष पाठ्यक्रम शुल्क	12,000.00
द्वितीय वर्ष पाठ्यक्रम शुल्क	12,000.00

- उपरोक्त वर्णित शुल्क प्रथम वर्ष में प्रवेश के समय तथा द्वितीय वर्ष में प्रवेश के समय देय होंगे। शुल्क में बदलाव की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना ही मान्य होगी।
- उपरोक्त शुल्क पाठ्यक्रम प्रशिक्षण एवं पाठ्यसामग्री हेतु निर्धारित है तथा अन्य दत्तकार्यों हेतु आवश्यक सामग्रीयों की व्यवस्था विद्यार्थियों को स्वयं करना होगा।

अन्य शुल्क :-

- अध्ययन केन्द्र परिवर्तन शुल्क - 1000/-
नोट:-सीट रहने की स्थिति में ही अध्ययन केन्द्र परिवर्तित किया जायेगा।
- विषय परिवर्तन शुल्क (बी.एड) - 700/-
- अन्य अध्ययन केन्द्र में संपर्क कक्षा करने/UTD (वि.वि. मुख्यालय) में संचालित की जाने वाली अतिरिक्त संपर्क कक्षा शुल्क - 2100/-

6. परीक्षा का माध्यम

- प्री-बी.एड. प्रवेश परीक्षा के प्रश्न हिन्दी व अंग्रेजी दोनों माध्यम में होंगे। किंतु पाठ्यक्रम में प्रवेश उपरान्त अध्ययन सामग्री हिन्दी में उपलब्ध होगी। छात्र हिन्दी अथवा अंग्रेजी माध्यम में सत्रीय व सत्रांत परीक्षा दे सकेंगे।

7. कार्यक्रम अवधि

बी.एड. व डी.एल.एड. कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण करने की न्यूनतम अवधि दो वर्ष तथा अधिकतम अवधि चार वर्ष की होगी अर्थात् प्रत्येक छात्र को प्रवेश प्राप्त होने के चार वर्ष के अंदर पाठ्यक्रम पूर्ण करना होगा। चार वर्ष पश्चात पंजीयन स्वतः ही निरस्त हो जावेगा विश्वविद्यालय के नियमानुसार पुनः पंजीयन करा सकता है।

8- आरक्षण

बी.एड. एवं डी.एल.एड. प्रवेश हेतु आरक्षण छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा प्रसारित लागू नियमानुसार होगा।

9. प्री-बी.एड. एवं प्री-डी.एल.एड. परीक्षा केन्द्र हेतु निर्धारित शहर :-

परीक्षा छत्तीसगढ़ प्रदेश के निम्नलिखित 22 जिलों में आयोजित होगी :-

क्षेत्रीय अध्ययन केन्द्र बिलासपुर	क्षेत्रीय अध्ययन केन्द्र अम्बिकापुर	क्षेत्रीय अध्ययन केन्द्र रायपुर एवं दुर्ग	क्षेत्रीय अध्ययन केन्द्र जगदलपुर
परीक्षा शहर			
बिलासपुर	जशपुर	रायपुर	जगदलपुर
कोरबा	अम्बिकापुर	महासंमुद	दंतेवाड़ा
जांजगीर	बैकुण्ठपुर	दुर्ग-भिलाई	कांकेर
रायगढ़	सुरजपुर	धमतरी	
कवर्धा		राजनांदगांव	
मुंगेली		बलौदा बाजार	
		बालोद	
		बेमेतरा	
		गरियाबंद	

प्रवेश परीक्षा उपरोक्त शहरों के परीक्षा केन्द्रों में निर्धारित समय पर संचालित की जावेगी। परीक्षार्थी अपनी सुविधानुसार परीक्षा केन्द्र का चयन कर ऑन-लाइन परीक्षा आवेदन में परीक्षा

शहर अनिवार्यतः अंकित करें। अन्यथा विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त परीक्षा शहर केन्द्र ही मान्य होगा। परीक्षार्थी संख्या पर्याप्त न होने पर परीक्षा शहर केन्द्र में परिवर्तन करने हेतु विश्वविद्यालय स्वतंत्र होगा।

10. प्री बी.एड. एवं डी.एल.एड. प्रवेश परीक्षा प्रक्रिया हेतु महत्वपूर्ण निर्देश -

10.1 परीक्षा हेतु आवेदक अपनी पात्रता सम्बन्धी जाँच स्वतः कर अर्हता का निर्धारण करें। मात्र ऑन-लाइन आवेदन करने अथवा परीक्षा में सम्मिलित होने से छात्र के प्रवेश की पात्रता का निर्धारण नहीं होगा। प्रावीण्य सूची में उत्तीर्ण छात्रों का प्रवेश, उनके द्वारा प्रस्तुत शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, मूल प्रवजन प्रमाण पत्र, उपयुक्त जाति प्रमाण पत्रों को सत्यापन करा कर काउंसिलिंग की प्रक्रिया पूर्ण करने पर ही संभव होगा। प्रवेश से संबंधित किसी भी विवाद में विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा।

नोट -विश्वविद्यालय को यह अधिकार होगा कि वह शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्रों एवं अन्य प्रमाण पत्रों की जाँच स्वतः करे अथवा अन्य एजेंसियों से करवाए। शिक्षण अनुभव में अथवा अन्य किसी प्रमाण पत्र में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त किया जावेगा तथा छात्र द्वारा जमा कोई शुल्क वापस नहीं किया जावेगा।

10.2 किसी भी परिस्थिति में प्रवेश परीक्षा/प्रवेश प्रक्रिया शुल्क वापस नहीं होगा।

10.3 यह एक प्रतियोगी प्रवेश प्रक्रिया है। अतः किसी प्रकार की विषय सूची प्रदान नहीं की जावेगी। आगामी पृष्ठों में दिए गए पाठ्यक्रम के आधार पर विषय संबंधी पृष्ठभूमि तैयार की जा सकती है।

10.4 प्रवेश परीक्षा का परिणाम या मेरिट वेबसाइट (www.pssou.ac.in) पर ही संभावित तिथि को घोषित किया जायेगा।

11. प्रवेश-पत्र संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी व निर्देश -

11.1 किसी भी परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र डाक से नहीं भेजा जायेगा। प्रवेश पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट (www.pssou.ac.in) पर दर्शित किये जावेंगे। अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र डाउनलोड कर परीक्षा में सम्मिलित होना होगा।

11.2 परीक्षार्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट से अपना प्रवेश-पत्र "Application No." डालकर डाउनलोड कर सकेंगे।

11.3 डाउनलोड किया गया प्रवेश-पत्र दो भाग में होगा -

भाग 1 - प्रवेश-पत्र होगा।

भाग 2 - परीक्षा उपस्थिति -पत्र होगा। भाग 1 को भाग 2 से काटकर अलग कर लेंगे तथा उपस्थिति-पत्र में परीक्षार्थी निर्धारित स्थान पर अपनी नवीनतम स्वप्रमाणित फोटो चिपकायें एवं हस्ताक्षर करें। ध्यान रखें कि भाग 2 को प्रत्येक परीक्षार्थी परीक्षा हाल में वीक्षक के पास अनिवार्य रूप से जमा करें अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा में अनुपस्थित माना जावेगा।

12. **परीक्षा कक्ष में प्रवेश** - अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश पत्र के साथ ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश करें एवं नीला/काला बाल पेन ही उपयोग करें।

13.1 प्रवेश परीक्षा निर्धारित समय पर प्रारंभ होगी। अभ्यर्थी परीक्षा प्रारंभ होने के 15 मिनट पूर्व अपना स्थान ग्रहण कर लें। परीक्षा प्रारंभ होने के 20 मिनट बाद परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

13. **अनुचित साधन** - परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर ले कि परीक्षार्थी के पास, उसकी सीट पर अथवा सीट के निकट, कोई अवांछनीय सामग्री नहीं है। अनुचित साधनों का प्रयोग में लाना दण्डनीय होगा।

14. **क्षेत्राधिकार** – बी.एड./डी.एल.एड. में प्रवेश से संबंधित संपूर्ण प्रक्रिया NCTE व छ.ग. राज्य शासन उच्च शिक्षा विभाग के समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप की गई है तथापि किसी भी तरह की आपत्ति या असहमति होने की स्थिति में माननीय कुलपति महोदय के समक्ष आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। अंतिम निर्णय माननीय कुलपति जी का होगा, जो अभ्यर्थी को मान्य होगा। किसी विधि संबंधी विवाद की स्थिति में छत्तीसगढ़ के माननीय उच्च न्यायालय (बिलासपुर) के क्षेत्राधिकार तक ही सीमित रहेगा।

15. **प्रश्न-पत्र की रूप रेखा**

- अ) परीक्षा प्रश्न पत्र में दो भाग "अ" और "ब" होंगे। परीक्षण पत्र में प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी और प्रत्येक प्रश्न में एक अंक होगा। परीक्षा के अधिकतम अंक 100 हैं। पूरी परीक्षा का कुल समय दो घण्टे 15 मिनट होगा।
- ब) प्रवेश परीक्षा का स्तर – प्री बी.एड. परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न स्नातक स्तर के होंगे तथा प्री-डी.एल.एड. के प्रश्न 10+2 के स्तर के होंगे।
- स) परीक्षा पद्धति – परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा जिसके दो भाग होंगे। संबंधित पाठ्यक्रमों पर आधारित केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जायेंगे, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर/विकल्प दिये रहेंगे। उनमें से एक उत्तर सही तथा तीन उत्तर गलत होंगे। प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर पूर्ण गोला बनाकर अंकित करने पर एक अंक, गलत उत्तर अथवा एक से अधिक उत्तर अथवा सही उत्तर पर भी अपूर्ण गोला अंकित करने पर शून्य अंक प्रदान किये जायेंगे।

भाग ब में विषयगत सक्षमता के तीन विषयों (विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान) में से केवल एक ही विषय के 20 प्रश्न हल करना है, एक से अधिक विषय हल करने पर छात्र को अयोग्य (Disqualified) घोषित किया जायेगा। ऋणात्मक अंक नहीं दिये जायेंगे। परीक्षा की अवधि 2:15 घंटे की होगी, जिसमें परीक्षार्थी को दोनों भाग के प्रश्न हल करने होंगे। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उससे संबंधित गोले को ओ.एम.आर. उत्तर शीट में बाल पेन से काला/नीला करना होगा।

प्री-बी.एड. एवं प्री-डी.एल.एड. हेतु – प्रश्न पत्र का प्रथम भाग – सामान्य मानसिक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान
प्रश्न पत्र का द्वितीय भाग – विषयगत सक्षमता

Part A (भाग अ)				Time(समय)
Part	Subject	No. of Question	Marks	
भाग	विषय	प्रश्नों की संख्या	अंक	
Section 1 (खण्ड 1)	General Hindi Comprehension (सामान्य हिन्दी बोध)	10	10	02.15 घण्टे
Section 2 (खण्ड 2)	General English Comprehension (सामान्य अंग्रेजी बोध)	10	10	
Section 3 (खण्ड 3)	Logical & Analytical Reasoning (तार्किक एवं विश्लेषात्मक चिंतन)	20	20	
Section 4 (खण्ड 4)	Educational & General Awareness (शैक्षिक एवं सामान्य चेतना)	20	20	
Section 5 (खण्ड 5)	Teaching Learning & The School (शिक्षण-अधिगम एवं विद्यालय)	20	20	
Part B भाग ब				
Subject Competence (Any one) (कोई एक)(कोई एक में 20 अंक)				
Section VI (खण्ड 6)	विषयगत सक्षमता (कोई एक)	(कोई एक में 20 अंक)		
	(i) Science विज्ञान अथवा	20		
	(ii) Mathematics गणित अथवा	20		
	(iii) Social Science सामाजिक विज्ञान	20		

नोट :- भाग ब से केवल एक ही विषय के सभी 20 प्रश्न हल करना है। एक से अधिक विषय करने पर आपको अयोग्य घोषित किया जायेगा।

Note: Only one subject is to be attempted from Part B of question paper attempting more than one subject will render you disqualified.

प्री.बी.एड. प्रवेश परीक्षा के पाठ्यक्रम हेतु महत्वपूर्ण निर्देश :-

1. नीचे दिये गये पाठ्यक्रम के आधार पर प्री-बी.एड. में स्नातक स्तर के प्रश्न पूछे जायेंगे।
2. नीचे दिये गये पाठ्यक्रम में विषयगत सक्षमता (विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित) का पाठ्यक्रम नहीं दिया गया है। इनके विषय से संबंधित सामान्य प्रश्न पूछे जायेंगे।
3. शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय हेतु कोई पाठ्यक्रम प्रस्तावित नहीं किया जा रहा है क्योंकि यह छात्र की अभिरुचि पर आधारित होगा।

प्री.डी.एल.एड. प्रवेश परीक्षा पाठ्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण निर्देश :

1. नीचे दिये गये पाठ्यक्रम के आधार पर डी.एल.एड. में मैट्रिक स्तर/10+2 स्तर तक के प्रश्न पूछे जायेंगे।
2. नीचे दिये गये पाठ्यक्रम में विषयगत सक्षमता (विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित) का पाठ्यक्रम नहीं दिया गया है। इनके विषय से संबंधित सामान्य प्रश्न पूछे जायेंगे।
3. शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय हेतु कोई पाठ्यक्रम प्रस्तावित नहीं किया जा रहा है क्योंकि यह छात्र के अभिरुचि पर आधारित होगा।

प्री.बी.एड. एवं प्री.डी.एल.एड. प्रवेश परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम इस प्रकार है :-
सामान्य हिन्दी बोध

- अ. व्याकरण— मानक भाषा: स्वरूप और लक्षण, संज्ञापद, सर्वनाम, क्रिया विशेषण का व्यावहारिक प्रयोग। समास—रचना एवं प्रकार, संधि नियम एवं प्रकार, अवधारणात्मक व्याकरण, व्यवहार एवं प्रयोग, विनम्रता सूचक, विधि निषेध, काल बोध, स्थान एवं दिशा बोध कारक— कार्य संबंध, अनुक्रम, व्याकरणिक अशुद्धियां।
- ब. शब्द बोध — शब्द — रचना, उपसर्ग, प्रत्यय एवं इनके अर्थ मूलक प्रभावशब्द— प्रकार तत्सम, तद्भव, देशज विदेशी, संकर, नवनिर्मित, शब्दार्थ— पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी, युग्म अशुद्धि संशोधन,—उच्चारणागत, शब्द व शब्दार्थगत।

General English Comprehension

1) Parts of Speech :-

- a) Countable, Non-Countable Nouns
- b) Pronouns-Relative, Possessive
- c) Adjective (Attributive Use)
- d) As+Adj+As
- e) Adverbs (End Position)
- f) Preposition (in, on, at) for Time and Place

2) Simple Sentences :-

- a) Imperative Sentences
- b) Simple Sentences

- c) Infinitive
- d) Present Participle, Past Participle
- e) Gender

- 3) **Change of Sentence Combination** - (Compound Sentences) (And, But)
- 4) **Determiners** - Some, any, little, a little, few, a few
- 5) **Tense** - Present progressive, Present Simple, Past Simple, Use of Going to for future Time
- 6) **If Clause** (first Condition) If you work hard, you will pass.
- 7) **Question Framing** - Wh-Question, Yes/No Type Question
- 8) **Articles** - A, An, The
- 9) **Change of Voice** (Simple Present and Past Tense with Agent)
- 10) **Simple Preposition** (in, on, at, showing time and place)
- 11) **Narration Simple Sentence** (Present, Past and Future Tense)
- 12) **One word** substitution, Spellings, Opposite words (Prefixes-un, dis,in), Suffixes
- 13) **Modals** : Can (Showing Capability), May (Seeking Permission), Should (Giving Advice) Would (showing possibility)

तार्किक एवं विश्लेषणात्मक चिन्तन

इसमें मानसिक योग्यता में निहित निम्नलिखित कार्य आते हैं—तर्क करना, संबंध देखना, एनालॉजी, अंकिक योग्यता आदि। इन कारको का परीक्षण करने के लिए सामान्यतः इस प्रकार के प्रश्न जाते हैं— विषमता को पहचानना, अंकिक श्रेणी, अक्षर श्रेणी, अंक और चित्रों द्वारा संबंध देखन, सांकेतिक भाषा, छुपे हुए चित्र, वर्ग एवं अंक, गणितीय संक्रियाएँ, चित्रों का मिलान, विभिन्न प्रकार के पैटर्न आदि— आदि।

शैक्षिक एवं सामान्य चेतना

इस प्रश्न में निम्नांकित विषय रहेंगे। केवल सामान्य विज्ञान विषय को छोड़कर अन्य सभी विषय भारत एवं छत्तीसगढ़ तक सीमित रहेंगे।

1. भारतीय इतिहास : भारतीय सांस्कृतिक विकास, ऐतिहासिक घटनाएँ, भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास 1857 से 1945 तक, 1947 के बाद का घटनाक्रम, सुधार आंदोलन, राष्ट्रीय एकता।
2. नागरिक शास्त्र/राजनीतिक विज्ञान : मौलिक कर्तव्य एवं अधिकार, शिक्षा, भाषा, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय व्यक्तित्व, लोकसभा, राज्यसभा, मुख्य संवैधानिक प्रावधान।
3. अर्थशास्त्र : सामाजिक एवं आर्थिक विकास, जनसंख्या परिप्रेक्ष्य, सकल राष्ट्रीय उत्पादन और प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्र एवं राज्य नियोजन प्रक्रिया, कृषि

- ग्रामीण विकास, औद्योगिक एवं व्यापारिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, बैंक प्रणाली, रोजगार समस्या, वर्तमान आर्थिक घटनाक्रम।
4. भूगोल : प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण चेतना, वनस्पति एवं प्रणाली समूह, मिट्टी और उसके प्रकार, खनिज, भारत के राज्य, उसकी भौगोलिक स्थिति।
5. सामान्य विज्ञान : विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत, चेतना एवं जीवन की गुणवत्ता के लिए विज्ञान।
6. खेल और शिक्षा, योगशिक्षा, भारत के विभिन्न आयोग, शिक्षा नीति, शैक्षिक तकनीक समीक्षा, औपचारिकेतर मूल्य शिक्षा। शिक्षा/पूर्ण साक्षरता अभियान/सतत शिक्षा संबंधी रिपोर्ट्स, विभिन्न नवाचार, प्रोजेक्ट और शिक्षा में प्रयोग, शिक्षा का लोकव्यापीकरण/प्रारंभिक शिक्षा का लोकव्यापीकरण/सबके लिए शिक्षा/जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम/राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद राष्ट्रीय शिक्षा योजना एवं प्रशासन संस्थान, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्/दूर शिक्षा/संचार माध्यम, खेलकूद, योग एवं उपलब्धि शाला, स्वच्छता एवं शाला प्रबंधन।

शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय

शैक्षणिक अभिरूचि में निम्नलिखित कार्य सम्मिलित होते हैं— बच्चों के प्रति अभिवृत्ति, अनुकूलन की योग्यता, व्यवसाय संबंधी सूचनाएँ, व्यवसाय में रुचि, इनका परीक्षण कथनों की सहायता से किया जाएगा।

16. पूर्णगणना/पूर्णमूल्यांकन — विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश परीक्षा के उत्तर शीटों (ओ.एम.आर) का मूल्यांकन कम्प्यूटर द्वारा किया जाता है अतः पूर्णगणना/पूर्णमूल्यांकन का प्रावधान नहीं रखा गया है।
17. श्रेणी — छत्तीसगढ़ बी.एड. प्रवेश नियम एवं डी.एड./डी.एल.एड. प्रवेश नियम के आधार पर श्रेणी से तात्पर्य है, अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर)।
18. संवर्ग — छत्तीसगढ़ बी.एड. व डी.एल.एड. प्रवेश नियम के आधार पर संवर्ग से तात्पर्य है, महिला, दिव्यांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और भूतपूर्व सैनिक। संवर्ग में आरक्षण व्यापक के मानकों के अनुसार मान्य होगा।
19. बी.एड. व डी.एल.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु सीटों का आरक्षण — छत्तीसगढ़ राज्य उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी नियम के आधार पर बी.एड. व डी.एल.एड. पाठ्यक्रम में उपलब्ध सीटों में वर्टिकल तथा क्षैतिज दोनों प्रकार का आरक्षण होगा। वर्टिकल आरक्षण के लिए श्रेणीयाँ होंगी तथा क्षैतिज आरक्षण के लिए संवर्ग होंगे।
(क) वर्टिकल आरक्षण अथवा श्रेणी आरक्षण निम्नानुसार होगा—
(एक) अनुसूचित जाति के लिए।
(दो) अनुसूचित जनजाति के लिए।
(तीन) अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के लिए।
स्पष्टीकरण — अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणीयों में आरक्षण का लाभ पाने के लिए छ. ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इन श्रेणियों के जाति प्रमाण पत्र के संबंध में समय_≤ पर जारी निदेशों के अनुरूप जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
(ख) क्षैतिज आरक्षण अथवा संवर्ग आरक्षण का तात्पर्य है कि यह आरक्षण सभी श्रेणियों की सीटों पर समान रूप से होगा। क्षैतिज आरक्षण निम्नानुसार होगा —

(एक) दिव्यांग संवर्ग के लिए आरक्षण प्रतिशत छ.ग. राज्य सरकार उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी नियम एवं निर्देशानुसार निर्धारित रहेगा। इस संवर्ग में आरक्षण का लाभ पाने के लिए छ. ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में समय≤ पर जारी निदेशों के अनुरूप निःशक्त होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(दो) स्वतंत्रता संग्राम सैनिक संवर्ग के लिए आरक्षण प्रतिशत छ.ग. राज्य सरकार उच्च शिक्षा विभाग के नियमानुसार इस संवर्ग में आरक्षण का लाभ पाने के लिए छ. ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में समय≤ पर जारी निदेशों के अनुरूप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अथवा उनका पुत्र/पुत्री/पौत्र/पौत्री होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(तीन) भूतपूर्व सैनिक संवर्ग के लिए आरक्षण प्रतिशत छ.ग. राज्य सरकार उच्च शिक्षा विभाग के नियमानुसार इस संवर्ग में आरक्षण का लाभ पाने के लिए छ. ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में समय≤ पर जारी निर्देशों के अनुरूप भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(चार) महिला संवर्ग के लिए 30 प्रतिशत। (जो कि हर वर्ग की चयन सूची में समाहित होगा)

20. प्रावीण्य सूची – प्रवेश परीक्षा के प्राप्तकों के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा अनारक्षित श्रेणी, अनुसूचित जाति श्रेणी, अनुसूचित जनजाति श्रेणी, अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) की पृथक-पृथक प्रावीण्य सूचियाँ तैयार की जाएगी। पूर्वतः अनारक्षित श्रेणी की प्रावीण्य सूची में अनुसूचित जाति श्रेणी, अनुसूचित जनजाति श्रेणी, अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) तथा सामान्य सभी जातियों को शामिल किया जायेगा।

21. आरक्षित संवर्ग के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में प्रवेश – आरक्षित संवर्ग के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में इन संवर्गों के लिए आरक्षित सीटों को उसी श्रेणी की अनारक्षित सीटों में परिवर्तित कर दिया जायेगा।

रिक्त सीटों में प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना के आधार पर दिया जायेगा।

22. आरक्षित श्रेणी के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में प्रवेश – किसी भी आरक्षित श्रेणी में पर्याप्त अभ्यर्थी न होने के दशा में प्रवेश निम्नानुसार दिया जाएगा।

- (क) अनुसूचित जाति श्रेणी के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में इस श्रेणी के लिए आरक्षित सीटें अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों से भरी जाएगीं।
- (ख) अनुसूचित जनजाति श्रेणी के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में इस श्रेणी के लिए आरक्षित सीटें अनुसूचित जाति श्रेणी के अभ्यर्थियों से भरी जाएगीं।
- (ग) अनुसूचित जाति श्रेणी अनुसूचित जनजाति श्रेणी दोनों के ही पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में इन श्रेणियों के लिए आरक्षित सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी के अभ्यर्थियों से भरी जाएगीं।
- (घ) अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में इस श्रेणी के लिए आरक्षित सीटें पहले अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों से और बाद में भी सीटें रिक्त रहने पर अनुसूचित जाति श्रेणी के अभ्यर्थियों से भरी जाएगीं।
- (ङ) सभी वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में ही आरक्षित सीटें अनारक्षित की जायेगी।

23. काउंसिलिंग के आधार पर चयनित छात्रों के लिए बी.एड. एवं डी.एल.एड. प्रथम वर्ष के प्रशिक्षण हेतु 10 दिवसीय सम्पर्क कक्षा में भाग लेना अनिवार्य है। प्रति वर्ष की सम्पर्क कक्षाओं/कार्यशालाओं में छात्र की उपस्थिति बी.एड. एवं डी.एल.एड. हेतु 80 प्रतिशत होना अनिवार्य है अन्यथा छात्र सत्रांत परीक्षा में बैठने की पात्रता खो देंगे।

24. काऊंसिलिंग में चयनित छात्रों को संस्था/महाविद्यालय में प्रवेश पश्चात् अध्ययन-सामग्री दी जाती है। छात्र अध्ययन सामग्री प्राप्त करने के पश्चात् उसका गहन अध्ययन करें तथा सम्पर्क कक्षा में उपस्थिति प्रतिशत सुनिश्चित करें।
25. सम्पर्क कार्यक्रम के दौरान अंतिम तीन दिवस में प्रत्येक सैद्धांतिक विषय से सम्बंधित अधिकतम 30 अंकों की सत्रीय कार्य प्रवेशित अध्ययन केन्द्रों में जमा ली जायेगी जिसमें निर्धारित अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा छात्र उस विषय की सत्रांत परीक्षा में अनुत्तीर्ण घोषित किया जायेगा। सत्रीय परीक्षा कार्य जमा करने की तिथि विश्वविद्यालय की वेबसाइट (www.pssou.ac.in) पर दर्शित किये जावेंगे। सत्रीय अभ्यर्थी विश्वविद्यालय से प्राप्त अध्ययन सामग्री की सहायता पूर्ण कर सकेंगे।

अभ्यर्थियों हेतु महत्वपूर्ण निर्देश -

- बी.एड. प्रथम वर्ष में प्रवेश छत्तीसगढ़ शासन के आरक्षण नियमानुसार दिया जावेगा। कुल 500 सीटों में सभी वर्ग - अनारक्षित , अनुसूचित जनजाति , अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सभी संवर्ग - महिला , विकलांग , स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं भूतपूर्व सैनिक समाहित होंगे।
- डी.एल.एड. प्रथम वर्ष में प्रवेश छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी नियम एवं निर्देशानुसार आरक्षण नियमानुसार दिया जावेगा। कुल 2400 सीटों में सभी वर्ग - अनारक्षित , अनुसूचित जनजाति , अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सभी संवर्ग - महिला , विकलांग , स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं भूतपूर्व सैनिक समाहित होंगे।
- अभ्यर्थी को आरक्षित वर्ग एवं संवर्ग का लाभ उनके द्वारा प्रवेश परीक्षा के दौरान ओ.एम. आर. शीट में किये गये उल्लेख (लगाये गए गोले) के आधार पर ही मिलेगा। अगर किसी अभ्यर्थी ने ओ.एम.आर. शीट में अपने वर्ग अथवा संवर्ग का उल्लेख नहीं किया है तो उसे अनारक्षित ही माना जायेगा।
- किसी भी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को अनारक्षित सीट अथवा आरक्षित सीट में से कोई एक सीट ही मिलेगी। अभ्यर्थी के वर्ग का निर्धारण उसके द्वारा प्रवेश परीक्षा के दौरान ओ.एम.आर. शीट में किये गये उल्लेख (लगाये गए गोले) के आधार पर ही होगा और किसी भी परिस्थिति में उसमें परिवर्तन नहीं किया जायेगा। अगर ओ.एम.आर. शीट में किये गये उल्लेख व प्रवेश परीक्षा आवेदन फॉर्म में किये गये उल्लेख में अंतर पाया गया तो उस स्थिति में वि.वि. प्रबंधन का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। यह भी कि ओ.एम. आर में वर्ग या संवर्ग में प्रवृष्टि में त्रुटि हो जाने पर अभ्यर्थी इसकी सूचना तत्काल ही विश्वविद्यालय को देगा। परिणाम निकलने के बाद कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
- सभी वर्ग में महिला अभ्यर्थियों के लिये निर्धारित प्रतिशत संख्या पूर्ण हो गई हो तो स्वतः मेरिट क्रमानुसार पुरुष को एवं महिला वर्ग के अभ्यर्थियों को अवसर मिलेगा जहाँ महिला संवर्ग हेतु निर्धारित प्रतिशत संख्या से महिला अभ्यर्थी की संख्या कम होगी वहाँ महिला संवर्ग के अभ्यर्थियों की संख्या पूर्ति करने हेतु अधिक अंक अर्जित पुरुष वर्ग के स्थान पर उनके नीचे के मेरिट क्रमानुसार महिला संवर्ग के अभ्यर्थियों को अवसर दिया जावेगा।

- अभ्यर्थी को आरक्षित वर्ग एवं संवर्ग का लाभ लेने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र पस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- वर्ग (Category) से तात्पर्य है – अनारक्षित (Un-reserved or UR), अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribes or ST), अनुसूचित जाति (Scheduled Caste or SC) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (Other Backward Classes or OBC)।
- संवर्ग (Class) से तात्पर्य है – महिला (Female or F), विकलांग (Physically Handicapped or HC/PH), स्वतंत्रता संग्राम सेनानी (Freedom Fighter or FF), भूतपूर्व सैनिक (Ex Sainik or S)
- चांस/प्रतिष्ठा से तात्पर्य है – उन अभ्यर्थियों से है जो कि जब मैरिट में चयनित छात्र किसी कारण से प्रवेश नहीं ले पाते हैं या उनका प्रवेश नहीं हो पाता है तब उनके रिक्त स्थान पर मैरिट में चयनित अभ्यर्थियों के क्रम से नीचे के क्रम अनुसार अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है। यदि स्थान रिक्त नहीं हो तो चांस हेतु पंजीकृत अभ्यर्थियों का चयन (प्रवेश) नहीं होगा। स्थान रिक्त रहने तक ही चांस हेतु अभ्यर्थियों का चयन मैरिट क्रम से होगा।
- जिन अभ्यर्थियों ने अपनी अंतिम परीक्षा छ.ग. राज्य के बाहर से दी है उन छात्रों को आव्रजन शुल्क (Immigration Fees) एवं पात्रता प्रमाण पत्र हेतु रु.1100/- (ग्यारह सौ रुपये) का जमा करना होगा। (ऐसे अभ्यर्थियों का प्रवेश वि.वि. द्वारा पात्रता प्रदान करने तक पूर्णतः अस्थायी रहेगा। अतः ऐसे अभ्यर्थियों प्रवेश के एक माह के अंदर वि.वि. से अपना पात्रता प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लेवे)